भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2871

05 अगस्त**,** 2026 को उत्तर के लिए निर्धारित

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन/व्यावसायीकरण

2871. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में, विशेषकर आकांक्षी जिले बहराइच में, पारंपरिक ज्ञान, ग्रामीण प्रौद्योगिकियों और स्थानीय नवोन्मेषों की पहचान, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई विशेष पहल की है, क्योंकि दस्तावेजीकरण के अभाव में ऐसा पारंपरिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियां समय के साथ धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) या अन्य संस्थानों द्वारा उत्तर प्रदेश और बहराइच के ऐसे कितने स्थानीय नवोन्मेषों का दस्तावेजीकरण, पेटेंट, प्रौद्योगिकी उन्नयन या व्यावसायीकरण किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण नवोन्मेषकों को वित्तीय, तकनीकी और विपणन सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (एनआईएफ) - भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) का एक स्वायत्तशासी संस्थान हैं, जो ज़मीनी स्तर के तकनीकी नवाचारों तथा उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु भारत की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करता है। एनआईएफ को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले सहित देश भर में पारंपरिक ज्ञान, ग्रामीण प्रौद्योगिकियों और स्थानीय नवाचारों की पहचान, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और संवर्धन का दायित्व सौंपा गया है। एनआईएफ औपचारिक क्षेत्र पर निर्भर हुए बिना, विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में व्यक्तियों एवं स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित ज़मीनी स्तर के तकनीकी नवाचारों की सक्रिय रूप से पहचान करता है, उन्हें आवश्यक सहयोग एवं सहायता प्रदान करता है तथा उनके विकास और व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान एनआईएफ ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले सहित राज्य से 1000 से अधिक विचारों, नवाचारों एवं पारंपरिक ज्ञान के उदाहरणों की पहचान और उनका दस्तावेज़ीकरण किया है। एनआईएफ ने उत्तर प्रदेश के ज़मीनी स्तर के नवप्रवर्तकों/छात्र नवप्रवर्तकों के नाम से 5 पेटेंट दाखिल किए हैं, जबकि नवप्रवर्तकों/ज्ञान धारकों के नाम से 11 पेटेंट प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा विकसित 9 पादप किस्मों को 'पादप किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण (पीपीवी एंड एफआर) अधिनियम, 2001' के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दाखिल किया गया, जिनमें से 3 किस्मों को सफलतापूर्वक पंजीकरण प्रदान किया जा चुका है। विगत पांच वर्षों के दौरान प्रोटोटाइप (आदिरूप) विकास के लिए 7 नवप्रवर्तकों को सहायता प्रदान की गई, 9 जमीनी स्तर की प्रौद्योगिकियों का उन्नयन किया गया और 9 ज़मीनी स्तर की प्रौद्योगिकियों का विभिन्न कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(ग) से (घ): जी हाँ। एनआईएफ प्रोटोटाइप/उत्पाद के विकास के लिए तकनीकी परामर्श के साथ-साथ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जब कोई प्रौद्योगिकी बाज़ार में उतारने के लिए तैयार हो जाती है, तो एनआईएफ बाज़ार या सामाजिक स्तर पर उसके प्रसार हेतु आवश्यक संपर्क एवं सहयोग उपलब्ध कराता है तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करके नवप्रवर्तक को उद्यमी बनने में भी सहायता करता है। सरकार विभिन्न प्रमुख पहलों जैसे नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर), स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) और आरकेवीवाई एग्री-स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण नवप्रवर्तकों को सहायता प्रदान करती है।
